



2026:AHC-:26416-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2643 / 2026

हीरालाल व 6 अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनुज कुमार गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. कुछ तर्कों के उपरांत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका को नहीं करना चाहते हैं और बेहतर विवरणों के साथ नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।

3. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

4. नियमों के अनुसार एक आई.आर. की प्रमाणित प्रति वापस कर दी जाए।

5 फरवरी, 2026

केएस

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"